"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 6, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/आठ-परि./2016. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम-77 के उप-नियम (5) के खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(चार) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 86 एवं 88 के अधीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र से आच्छादित मालवाहनों से भिन्न मालवाहनों के लिये, राज्य के भीतर संचालन हेतु अस्थायी अथवा स्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये मालवाहन की आयु, प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

और इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व मालवाहनों को जारी राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र से भिन्न सभी अनुज्ञापत्र, दिनांक 01-01-2018 के पूर्व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मालवाहनों हेतु दिनांक 01-01-2018 से तथा अन्य वाहनों हेतु 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि से, जब तक कि ऐसे वाहन को इस अधिसूचना के प्रावधानों में यथा उल्लिखित समुचित आयु के वाहन से प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो, अविधिमान्य माने जायेंगे."

No. F 5-8/VIII/Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After condition (Three) of sub-rule (5) of rule 77, the following shall be added, namely :-

"(Four) For goods vehicles other than those covered with National Permit under rules 86 and 88 of Central Motor Vehicle Rule, 1989, the age of goods vehicle for issuance of temporary or permanent permit for operation within the state shall not be more than 15 years from the date of initial registration.

And, all permits other than national permits issued to goods vehicles before the publication of this notification shall be deemed to be invalid from 01-01-2018 for vehicles which have completed 15 years of age before 01-01-2018 and from the date of completion of 15 years of age for other vehicles unless such vehicle has been replaced by a vehicle of proper age as mentioned in the provision of this notification."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.